न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

प्रकरण कमांक 23 अ–19 / मूल / 2013–2014

:आ दे शः
(पारित दिनांक 28 अप्रैल, 2014)

मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक [illegible]/कार्य/7/952 का 88/2014 रीवा दिनांक 29.03.2014 द्वारा लेख किया है कि बहुती नहर योजना एवं त्यौथर बहाव योजना के निमार्ण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के तुल्य राजस्व भूमि का हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा के उक्त पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार तहसील गुढ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार तहसील गुढ ने प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रकरण क्रमांक 03/अ–19/2013.2014 दिनांक 05.04.2014 द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया कोई आपत्ति नही आई। ग्राम बरसैता पहाड की भूमि खसरा नम्बर 8, 9 /1, 9 /2, 20, 27 कुल रकवा 61.926 हेक्टेयर को चिन्हित शासकीय वनभूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की मांग की गई है। हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौके व रिकार्ड अनुसार भूमि खसरा कमांक 8 रकवा 5.611 हेक्टेयर रिकार्ड अनुसार मौके पर उपलब्ध है व रिक्त है। भूमि खसरा कमांक 9/1 रकवा 5.264 हेक्टेयर भूमि रिकार्ड अनुसार उपलब्ध है व रिक्त है। भूमि खसरा क्रमांक 20 रकवा 25.908 हेक्टेयर खसरे में दर्ज है परन्तु नक्शे में 5.061 हेक्टेयर रकवे पर वन विभाग की लाइन इन्द्राज है इस प्रकार नक्शे अनुसार भूमि रकवा 20.652 हेक्टेयर उपलब्ध है। उक्त रकवा मौके पर उपलब्ध है व रिक्त है। भूमि खसरा कमांक 27 रकवा 17.708 हेक्टेयर रिकार्ड अनुसार खसरे में दर्ज है परन्तु नक्शे में 10.063 हेक्टेयर रकवे पर वन विभाग की लाइन इन्द्राज है। इस प्रकार नक्शे अनुसार भूमि का रकवा 7.645 हेक्टेयर है उक्त रकवा मौके पर उपलब्ध है एवं रिक्त है। इस प्रकार ग्राम बरसैता पहाड में मौके पर स्थित भूमि व रिकार्ड में उपलब्ध भूमि के आधार पर भूमि सर्वे नम्बर 8 रकवा 5.611 हेक्टेयर, भूमि खसरा क्रमांक 9/1 रकवा 5.264 हेक्टेयर, भूमि खसरा कमांक 20 रकवा 25.713 हेक्टेयर में से 20.652 हेक्टेयर एवं भूमि खसरा क्रमांक 27 रकवा 17.708 मे से 7.645 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकवा 39.172 हेक्टेयर भूमि नक्शे में उपलब्धता के आधार पर वन विभाग को दिया जाना उचित होगा। अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ ने प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05.04.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि बहुती एवं त्यौथर बहाव योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले में नक्शे में प्रस्तावित भूमि खसरा कमांक 8, 9/1, 20, 27 कमशः रकवा 5.611, 5.264, 20.652, 7.645 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 39.172 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता के आधार पर वन विभाग को दी जा सकती है।

3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा ने प्रतिवेदन कमांक मा.चि./2465 रीवा दिनांक 15.04.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग द्वारा टर्न की योजना के अन्तर्गत बहुती नहर के निमार्ण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले राजस्व भूमि तहसील गुढ के ग्राम बरसैता पहाड आराजी कमांक 9, 20, 27 कमशः रकवा 5.264, 25.713, 17.708 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 48.685 हेक्टेयर गैर वनभूमि वन

कृ0प0उ0

प्रकरण कमांक 23/अ–19/मूल/2013–2014 जिला

विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर सम्भाग द्वारा पत्र कमांक 1660 दिनांक 02.04.2014 द्वारा लेख किया गया है। आवेदित स्थल की जांच उ.व.मं.अ. उ.व.मं. रीवा द्वारा कराई गई जिसके संबंध में उनके द्वारा आवेदित स्थल की जांच कर पत्र कमांक 896 रीवा दिनांक 11.04.2014 द्वारा जांच प्रतिवेदन किया गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया कि आवेदित क्षेत्र की भूमि पथरीली है, भूमि अतिकमण से मुक्त है एवं उक्त भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु IXIXI मीटर के गडढों हेतु विशेष प्रयास करना पडेगा। अतः उक्त भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तांतरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सम्प्रेषित है।

4. मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा ने कार्यालयीन पत्र कमांक गंगा/कार्य/7/952 का 88/2014/4398 रीवा दिनांक 26.04.2014 द्वारा लेख किया है कि पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 29.03.2014 अनुसार बहुती नहर में प्रभावित वन भूमि प्रकरण हेतु कार्यवाही की जा चुकी है जिसमें वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सामान्य रीवा के द्वारा उनके पत्र, बैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए तहसी गुढ के ग्राम बरसैता पहाड़ की आराजी कमांक 9, 20, 27 कमशः रकवा 5.264, 253, 17,708 हेक्टेयर कुल रकवा 48.685 हेक्टेयर में से 39.000 हेक्टेयर बहुती नहर हेतु आवश्यकता है। अतः बहुती नहर का प्रकरण पूर्व पत्राचारो से पृथक करते हुए अकेले इस हेतु प्रकरण बनाया जाना उपयुक्त होगा। अतएव उक्त भूमि 39 हेक्टेयर वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे शेष भूमि 48.685–39=9.685 हेक्टेयर त्यौथर बहाव योजना के प्रकरण के लिए कार्यवाहियां पूर्ण होने पर पृथक से निवेदन किया जावेगा।

5. अतः मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा के पत्र दिनांक 26.04.2014 के मांगानुसार अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा एवं वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा के प्रतिवेदनो का परीक्षण एवं प्रकरण का अवलोकन किया। मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा द्वारा शासन द्वारा प्रस्ताविन बहुती नहर योजना एवं त्यौथर बहाव योजना के निमार्ण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के तुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। प्रस्तुत प्रतिवेदनो एवं प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 2013.2014 के अवलोकन से पाया गया कि मौजा बरसैता पहाड ज.नं. 418 तहसील गुढ की भूमि खसरा कमांक 8, 9/1, 20, 27 कमशः रकवा 5.611, 5.264, 20.652, 7.645 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 39.172 हेक्टेयर शासकीय दर्ज अभिलेख है। अतः उपरोक्त प्रतिवेदनो के आधार पर म0प्र0, राजस्व विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक एफ/52/सात/नजूल/92 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कमांक–1 की कण्डिका–36 के प्रावधानो के अन्तर्गत ग्राम बरसैता की शासकीय भूमि खसरा कमांक 8, 9/1, 20, 27 कमशः रकवा 5.611, 5.264, 20.652, 7.645 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 39.172 हेक्टेयर भूमि मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा द्वारा शासन द्वारा प्रस्तावित बहुती नहर योजना के निमार्ण में वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील गुढ तदानुसार अभिलेख में सुधार कर खसरा की प्रति संबंधित को उपलब्ध करावें।

TRUE COPY
Office of the Collector, Rewa
28/5/14

(एस0एन0 रूपला)
कलेक्टर
Collector
Distt. Rewa (M.P.)

पृ0 प्रकरण क्रमांक 23 /अ–19/मूल/2013–2014 रीवा दिनांक 28 अप्रैल 2014

प्रतिलिपि,

1.मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा।

2.कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर सम्भाग रीवा।

3.वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा।

4.अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ जिला रीवा।

5.तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा।

की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी,

न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)